

फा.सं.12/3/2016-जेसीए-2
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्थापना (जेसीए-2) अनुभाग
.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 1 नवंबर, 2018

कार्यालय जापन

विषय: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम तथा तेलंगाना की विधानसभाओं के आम चुनाव, 2018- मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 18.10.2018 के पत्र सं. 78/ईपीएस/2018/992 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में विधानसभाओं के आम चुनाव उनके सम्मुख उल्लिखित अनुसार किए जाने हैं:

क्र. सं.	विधानसभा	तारीख/दिवस
1.	छत्तीसगढ़ चरण-I	12.11.2018 (सोमवार)
2.	छत्तीसगढ़ चरण-II	20.11.2018 (मंगलवार)
3.	मध्य प्रदेश	28.11.2018 (बुधवार)
4.	मिजोरम	28.11.2018 (बुधवार)
5.	राजस्थान	07.12.2018 (शुक्रवार)
6.	तेलंगाना	07.12.2018 (शुक्रवार)

2. इस विभाग के दिनांक 10.10.2001 के कार्यालय जापन सं. 12/14/99-जेसीए के माध्यम से पहले ही जारी किए गए दिशा-निर्देशों का औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालयों हेतु संबंधित राज्यों में अनुपालन किया जाएगा।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए।

राजू सारस्वत

(राजू सारस्वत)

अवर सचिव (जेसीए)

दूरभाष सं. 23092110

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय
3. उच्चतम न्यायालय/ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम तथा तेलंगाना के उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
6. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम तथा तेलंगाना राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष/सचिव।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
8. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम तथा तेलंगाना की राज्य सरकार के मुख्य सचिव।
9. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 18.10.2018 के पत्र सं. 78/ईपीएस/2018/992 के संदर्भ में।